निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
518/2021	02.12.2021	04/12/2025

जगराम पुत्र काडूराम, मीना निवासी नयागांव तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

1. प्रभु पुत्र मुकना, मीना निवासी नयागांव तह0 वजीरपुरर
2. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदारी भूमि ख0न0 194 रकबा 0.13 है0, ख0न0 197 रकबा 0.25 है9, ख0न0 198 रकबा 0.28 है0, ख0न0 472 रकबा 0.36 है0, ख0न0 473 रकबा 0.36 है0, ख0न0 476 रकबा 0.03 है0, ख0न0 477 रकबा 0.32 है0, ख0न0 478 रकबवा 0.30 है0, ख0न0 479 रकबा 0.66 है0, ख0न0 480 रकबा 0.25 है0, ख0न0 481 रकबा 0.34 है0 ग्राम नयागांव मे स्थित है। उपरोक्त भूमि का वादी के पिता एवं प्रतिवादी के मध्य आज से करीब 60 साल पहले ही विभाजन हो गया था तभी से वादी के पिता अपने जीवन पर्यन्त व उनके मरने के बाद वादी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी अब रास्ते पर स्थित वादी के पिता के हिस्से मे आयी भूमि पर कीमत अधिक हो जाने के कारण कब्जा करना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित खसरा नम्बरों पर वादी काबिज चला आ रहा है। ख0न0 477 पर वादी के पिता ने 50 साल पहले पुख्ता मकान बना लिया है तथा ख0न0 478 व 472 मे वादी के दो बोरिंग लगे हुए है। वादी ने अपने हिस्से मे आये ख0न0 481, 478, 472 मे पाईप लाईन भी गाड रखी है। वादपत्र के साथ संल[illegible] नक्शा वाद पत्र का जुज माना जावें। प्रतिवादी के हिस्से मे ख0न0 473, [illegible], 480, 148 सम्पूर्ण तथा ख0न0 194 रकबा 0.13 है0 मे से हिस्सा [illegible] आया है तथा ख0न0 473 मे करीब 2 साल पूर्व से प्रतिवादी का मकान [illegible] हुआ है। अत प्रतिवादी की नियत खराब हो गई है एवं उसने दिनांक 15.11.21 को वादी को धमकी दी है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested

वह अब नये सिरे से विभाजन करवाएगा तथा वादी के हिस्से मे बाइ भूमि पर कब्जा करेगा। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0न0 194 रकबा 0.13 है0, ख0न0 197 रकबा 0.25 है9, ख0न0 198 रकबा 0.28 है0, ख0न0 472 रकबा 0.36 है0, ख0न0 473 रकबा 0.36 है0, ख0न0 476 रकबा 0.03 है0, ख0न0 477 रकबा 0.32 है0, ख0न0 478 रकबवा 0.30 है0, ख0न0 479 रकबा 0.66 है0, ख0न0 480 रकबा 0.25 है0, ख0न0 481 रकबा 0.34 है0 ग्राम नयागांव का वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित खसरा नम्बरान को वादी के हिस्से मे दर्ज किया जावे तथा ख0न0 473, 479, 480, 148 सम्पूर्ण तथा ख0न0 194 मे से हिस्सा 1/2 प्रतिवादी के नाम दर्ज किया जावे तथा ख0न0 194 मे से हिस्सा 1/2 नजरी नक्शे मे पील रंग से दर्शाए गये स्थान को वादी के नाम दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से मे आई भूमि से बेदखल नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2075—78 खाता संख्या 31 ग्राम नयागांव, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र चावल देवी प्रस्तुत किये है।

दिनांक 15.05.2025 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से पत्रांक भूअ/2025/908 दिनांक 7.10.2025 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वकील वादी की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर सहमत है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी [illegible]द डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त [illegible] स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन [illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:43:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

1. जगराम पुत्र काडूराम, मीना, सा.देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 194/1 रकबा 0.08 है0, ख0न0 197 रकबा 0.25 है0, ख0न0 472/1 रकबा 0.32 है0, ख0न0 476 रकबा 0.03 है0, ख0न0 477 रकबा 0.32 है0, ख0न0 478 रकबा 0.30 है0, ख0न0 481 रकबा 0.34 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम नयागांव रहेगी।

2. गोपाल पुत्र प्रभू, सिंगारी, सरमन्ती, मुकेशी पुत्रियान प्रभू जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 194/2 रकबा 0.05 है0, ख0न0 198 रकबा 0.28 है0, ख0न0 472/2 रकबा 0.04 है0, ख0न0 473 रकबा 0.36 है0, ख0न0 479 रकबा 0.66 है0, ख0न0 480 रकबा 0.25 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम नयागांव रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम, राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ०५/१२/२०२५ को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर

इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

जगराम पुत्र काडूराम, मीना निवासी नयागांव तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

1. प्रभु पुत्र मुकना, मीना निवासी नयागांव तह0 वजीरपुरर
2. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —518/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ....मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. जगराम पुत्र काडूराम, मीना, सा.देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 194/1 रकबा 0.08 है0, ख0न0 197 रकबा 0.25 है0, ख0न0 472/1 रकबा 0.32 है0, ख0न0 476 रकबा 0.03 है0, ख0न0 477 रकबा 0.32 है0, ख0न0 478 रकबा 0.30 है0, ख0न0 481 रकबा 0.34 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम नयागांव रहेगी।

2. गोपाल पुत्र प्रभू, सिंगारी, सरमन्ती, मुकेशी पुत्रियान प्रभू जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 194/2 रकबा 0.05 है0, ख0न0 198 रकबा 0.28 है0, ख0न0 472/2 रकबा 0.04 है0, ख0न0 473 रकबा 0.36 है0, ख0न0 479 रकबा 0.66 है0, ख0न0 480 रकबा 0.25 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम नयागांव रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:41:48 IST
Reason: SelfAttested

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं

नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम, राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगी।

खर्चा डिक्री आज दिनांक 05/12/2025 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested